न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 70/2018

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00399

प्रार्थीः–

देवाराम पुत्र लालाराम जाति सिवरवी
निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला
पाली

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. ग्राम पंचायत साण्डिया जरिये संरपच
2. जयराम पुत्र भैराराम
3. प्रहलादराम पुत्र भैराराम जाति देवासी
   निवासी साण्डिया तहसील सोजत
   जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत साण्डिया द्वारा जारी मिसल संख्या 22/2009 प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.06.2004 की पालना में अप्रार्थी जयराम, प्रहलादराम पुत्र भैराराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 643 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावेगा।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.2400 किस्म चाही प्रथम की जमीन का पट्टा देने का अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में प्रस्ताव लिया गया, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत केवल आबादी भूमि का ही पट्टा जारी कर सकती है जबकि जैर निगरानी में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे सुदा का पट्टा दिया है। ग्राम पंचायत में अप्रार्थी का ऐसा कोई आवेदन नहीं है जो पट्टे की प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो, निरीक्षण फीस जमा नहीं है न ही नक्शा संलग्न है और न ही नक्शा तैयार करने के लिये कोई फीस जमा है। स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया है। जो पंचायत राज नियमों के विरूद्ध एवं पंचायत के हक अधिकारो से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया जो काबिल खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत साण्डिया द्वारा जारी मिसल संख्या 22/2009 प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.06.2004 की पालना में अप्रार्थी जयराम, प्रहलादराम पुत्र भैराराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 643 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने ग्राम पंचायत साण्डिया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जा सुदा प्लाट का पट्टा बनाने का निवेदन किया है। जिसकी पालना में दिनांक 20.01.2004 को मिसल कायम की जाकर आज्ञा दिनांक 05.02.2004 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु 3 वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया

अति. जिला कलेक्टर पाली

गया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 की अक्षरशः पालना की गयी है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) की पालना करते हुये ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 05.03.2004 को आपत्ति ईश्तहार जारी किया गया जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। आज्ञासूची दिनांक 05.06.2004 में अंकितानुसार 2 गवाह के बयान लिये गये एवं उनके बयान अनुसार जैर निगरानी भूखण्ड पर प्रार्थी के सिवाय किसी का कोई कब्जा अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.06.2004 के प्रस्ताव संख्या 3 में सर्व सम्मति से जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जाकर बैठक दिनांक 5.11.2004 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी ने 200 रूपये जरिये रसीद संख्या 11/61 दिनांक 05.11.2004 के द्वारा जमा करवाये जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नही होती है।

जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में दिनांक 04.06.2004 को ऐतराज प्रस्तुत किया गया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किया गया इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने ऐतराजकर्ता को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जारी किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी किसी भी तरह के साक्ष्य दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने ग्राम पंचायत साण्डिया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जा सुदा प्लाट का पट्टा बनाने का निवेदन किया है। जिसकी पालना में दिनांक 20.01.2004 को मिसल कायम की जाकर आज्ञा दिनांक 05.02.2004 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु 3 वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.03.2004 को आपत्ति ईश्तहार जारी किया गया जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। उक्त पट्टे के सम्बन्ध में एतराज प्रस्तुत किया गया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किया गया। गवाहों के बयान अनुसार भी जैर निगरानी भूखण्ड पर प्रार्थी के सिवाय किसी का कोई कब्जा नहीं है। तत्पश्चात राज. पंचायती राज नियमों की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी भी अपने कथनो को सिद्ध करने में असमर्थ रहे। लिहाजा जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत साण्डिया द्वारा जारी मिसल संख्या 22/2009 प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.06.2004 की पालना में अप्रार्थी जयराम, प्रहलादराम पुत्र भैराराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 643 दिनांक 05.11.2004 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

निर्णय आज दिनांक 27/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली